न्यायालय सत्र न्यायाधीश, फतेहपुर।

उपस्थित: सुधीर कुमार–V एच0जे0एस0

(J.O. Code- UP 6546)

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1272 सन 2026

(CNR No. UPFT–010032692026)

चन्द्रकिशोर पुत्र स्व0 चन्दू निवासी ग्राम मौहार थाना कल्यानपुर जनपद फतेहपुर।

..... आवेदक/अभियुक्त

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य

..... अभियोजक

अपराध संख्या: 150 सन 2026

धारा: 80(2), 85 भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम

थाना: कल्यानपुर, जनपद फतेहपुर।

28.07.2026 :

आवेदक/अभियुक्त चन्द्रकिशोर की ओर से उक्त प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र मुकदमा अपराध संख्या 150 सन 2026 अन्तर्गत धारा 80(2), 85 भारतीय न्याय संहिता व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना कल्यानपुर जनपद फतेहपुर के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से रामकिशोर द्वारा इस आशय का शपथपत्र दिया गया है कि इस न्यायालय में अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय में न तो दिया गया, न विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है।

अभियोजन कथानक के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा उमेश यादव ने दिनांक 30.06.2026 को सम्बन्धित थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करायी कि उसकी बहन सुनैना देवी की शादी तीन वर्ष पूर्व सोनू कुमार के साथ की थी जिसमें उनकी मांग के अनुसार दान दहेज दिया था। शादी के कुछ दिन बाद से ही सोनू के माता पिता आये दिन पैसे की मांग करते थे जितना सम्भव होता था, वह और उसके घर वाले उनलोगों को पैसा देते थे। जब वह पैसा नहीं दे पाते तो उसकी बहन को ये लोग मारते पीटते थे। वह लोग कई बार मौहार आकर समझाये कि जितनी क्षमता थी तो उतना दे दिया है तो भी ये लोग नहीं माने। दिनांक

29.06.2026 को समय करीब 1:00 बजे दोपहर को सोनू उसके पास फोन किया कि यदि चालीस हजार रूपये नहीं लेकर आये तो वह लोग उसकी बहन को जान से मार देंगे। उस समय वह भरवारी के पास था, बोला घर जाकर एक दो दिन में इन्तजाम करके देता हूं किन्तु सोनू नहीं माना तथा बोला कि अब आओगे तो अपने बहन की लाश ही लेकर जाओगे। लगभग 6:00 बजे शाम उसे जानकारी मिली कि सोनू, सोनू की माता, सोनू के पिता, सोनू का छोटा भाई अजय एवं चचेरा भाई पिन्टू आदि ने मिलकर उसकी बहन की हत्या कर दी।

जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) की बहस सुना तथा केस डायरी आदि अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क रखा है कि आवेदक निर्दोष है, उसे इस मामले में कुभावना व लालचवश झूंठा फंसाया गया है। आवेदक अपनी पत्नी ननकी जो कैंसर की बीमारी से ग्रसित है, का इलाज 2025 से अहमदाबाद में रहकर करवा रहा है, ऐसी स्थिति में जब वह अपने पैतृक गांव मौहार में पत्नी के इलाज के सिलसिले में 2025 से नहीं रहा है तो फिर मृतका के उत्पीड़न व दहेज की मांग करने का कोई औचित्य व कारण नहीं बनता है। आवेदक की पुत्रवधू ने अवसादवश स्वयं फांसी लगाकर आत्महत्या किया जिसकी सूचना थाना कल्यानपुर व ससुरालीजन एवं आवेदक को दी गयी जिस पर पुलिस व ससुरालीजन आये एवं उनकी उपस्थिति में दिनांक 29.06.2026 को मृतका का पंचायतनामा करके शव पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। वादी ने लालचवश दिनांक 30.06.2026 को झूंठा मुकदमा दर्ज कराया। शव विच्छेदन आख्या के अनुसार मृतका ने स्वयं आत्महत्या की है और उसके शरीर पर लिगेचर मार्क के अतिरिक्त अन्य चोट नहीं पायी गयी है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक/अभियुक्त जमानत पर रिहा किये जाने योग्य है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने जमानत का घोर विरोध करते हुए यह तर्क रखा है कि आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है तथा मृतका का श्वसुर है। आवेदक/अभियुक्त सहित सह अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा की बहन सुनैना देवी का विवाह सह अभियुक्त सोनू जो आवेदक/अभियुक्त का पुत्र है, के साथ होने के उपरान्त से आवेदक/अभियुक्त सहित सह अभियुक्तगण द्वारा दहेज का दबाव बनाते हुए अतिरिक्त दहेज में एक लाख रूपये की मांग की जाती जिस पर वादी द्वारा कुछ रूपये दिये भी गये किन्तु आवेदक/अभियुक्त सहित सह अभियुक्तगण द्वारा अतिरिक्त दहेज की उक्त मांग के लिए मृतका को मारपीट कर शारीरिक व मानसिक रूप से उत्पीडित व प्रताडित किया जाता था और उक्त मांग एवं प्रताड़ना के क्रम में दिनांक 29.06.2026 को उसकी दहेज मृत्यु कारित की गयी है।

विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान आवेदक/अभियुक्त एवं सह अभियुक्तगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य संकलित की गयी है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। आवेदक/अभियुक्त जमानत पर रिहा किये जाने योग्य नहीं है।

आवेदक/अभियुक्त पर आरोप है कि उसने सह अभियुक्तगण के साथ वादी मुकदमा की बहन से अतिरिक्त दहेज में एक लाख रूपये की मांग की एवं उक्त मांग हेतु उसे गाली गलौज, मारपीट कर प्रताडित किया तथा उसकी दहेज हत्या कारित किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादी मुकदमा की बहन सुनैना देवी का विवाह सह अभियुक्त सोनू जो आवेदक/अभियुक्त का पुत्र है, के साथ तीन वर्ष पूर्व होने, विवाह के बाद आवेदक/अभियुक्त सहित सह अभियुक्तगण द्वारा रूपये मांगने व वादी द्वारा देने तथा न दे पाने पर मारने पीटने एवं अतिरिक्त दहेज की उक्त मांग के कारण वादी की बहन की दिनांक 29.06.2026 को दहेज मृत्यु कारित करने का उल्लेख किया गया है। अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। अभियोजन प्रपत्रों/मृतका सुनैना देवी की शव विच्छेदन आख्या के अनुसार उसके शरीर पर मृत्यु पूर्व की निम्नलिखित चोट पायी गयी है –

> Ligature Mark of Size 20cm X 1cm is Obliquely Placed above Thyroid cartilage with the gap of 10cm left side behind the Neck, around the ligature margin, below from right Ear 5cm, below from Chin 6cm and below from left Ear 4cm. Base of ligature hard, leathery and parchment like.
> On dissection ligature mark was dry, whitish and glistening.

शव विच्छेदन आख्या के अनुसार मृतका की मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व फांसी पर लटकने से श्वास अवरोध (Cause of death is Asphyxia as a result of ante mortem Hanging) से होना दर्शित किया गया है।

अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार मृतका सुनैना देवी का विवाह दिनांक 09.05.2022 को आवेदक/अभियुक्त के पुत्र सह अभियुक्त सोनू के साथ हुआ था और मृतका सुनैना देवी की मृत्यु दिनांक 29.06.2026 को असामान्य परिस्थितियों में उसकी ससुराल में हुई है। मृतका की मृत्यु उसके विवाह के लगभग चार पॉच वर्ष के अन्तराल पर असामान्य परिस्थितियों में उसकी ससुराल में हुई है। वादी मुकदमा उमेश यादव सहित अन्य साक्षीगण घुरिया देवी, प्रेमलाल, रामनरेश, सोनू कुमार व राजकुमार आदि ने विवेचक को दिये गये बयान अन्तर्गत धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में प्राथमिकी में उल्लिखित तथ्यों का समर्थन करते हुए मृतका का विवाह दान दहेज देकर सोनू कुमार के साथ दिनांक 09.05.2022 को होने किन्तु ससुरालीजन के संतुष्ट न होने एवं एक लाख रूपये अतिरिक्त दहेज की मांग करने तथा वादी द्वारा

दो बार रूपये देने तथा दिनांक 29.06.2026 को मृतका सुनैना देवी की ससुरालीजन द्वारा फांसी लगाकर मार देने का कथन किया है। अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार आवेदक/अभियुक्त को मृतका का श्वसुर होना बताया गया है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

अत: मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, केस की गम्भीरता, अपराध कारित करने में आवेदक/अभियुक्त की संलिप्तता/भूमिका, दण्ड की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त विवेचन की पृष्ठभूमि में, मामले के गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना, आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकृत किये जाने का पर्याप्त, संतोषजनक व युक्तियुक्त आधार मौजूद नहीं है। तदनुसार जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त चन्द्रकिशोर की ओर से अपराध उपरोक्त में प्रस्तुत उक्त जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक: 28.07.2026

(**सुधीर कुमार– V**)
सत्र न्यायाधीश,
फतेहपुर।

SUDHIR KUMAR
Digitally signed by SUDHIR KUMAR
Date: 2026.07.28 15:37:50 +05'30'